रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032020-218612 CG-DL-E-12032020-218612

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 870] No. 870] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 4, 2020/फाल्गुन 14, 1941 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 4, 2020/PHALGUNA 14, 1941

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2020

का.आ. 974(अ).—जबिक सेवाओं अथवा फायदों अथवा सहायिकी प्रदान करने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाता है तथा हितधारियों को सीधे सुविधाजनक और निर्बाध रूप से पात्रता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है और आधार व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत का निवारण करता है;

और जबिक, भारत सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (इसके पश्चात् मंत्रालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) एक केन्द्रीय सेक्टर की स्कीम "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)" (इसके पश्चात् स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बैंक से ऋण लेकर मुद्रा तथा पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित मौजूदा उद्यमों के उन्नयन अथवा नए उद्यम आरंभ करने के लिए व्यक्तियों (इसके पश हितधारी के रूप में उल्लेख किया गया है) को पूंजीगत सहायिकी (इसके पश्चात् हितधारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया) प्रदान करने की व्यवस्था करता है;

और जबिक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एकल केंद्रक अभिकरण के रूप में स्कीम कार्यान्वित की जाती है। राज्य स्तर पर राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) और जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और बैंकों (इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरणों के रूप में उल्लेख किया गया है) के माध्यम से स्कीम कार्यान्वित की जाती है। मौजूदा स्कीम दिशा-निदेशों के अनुसार स्कीम के अंतर्गत सरकारी सहायिकी फायदाग्राहियों/उद्यमियों को उनके बैंक खातों में अंतिम वितरण के लिए चिन्हित बैंकों के माध्यम से केवीआईसी द्वारा कराई जाती है।

1264 GI/2020 (1)

और जबिक, पूर्वोक्त स्कीम में भारत की समेकित निधि से प्राप्त आवर्ती व्यय शामिल है;

अतः अब केंद्रीय सरकार आधार वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं का लक्षयित परदान अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) लक्षित वितरण की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है:-

- 1. (1) स्कीम के अंतर्गत फायदा प्राप्त करने के इच्छुक लाभार्थी को एतद्दवारा आधार रखने अथवा आधार प्रमाणीकरण को साबित करना अपेक्षित है।
 - (2) स्कीम के अंतर्गत लाभ लेने के इच्छुक हितधारी जिनके पास आधार संख्या नहीं है अथवा, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, उन्हें आधार नामांकन के लिए एक आवेदन करना अपेक्षित होगा, तथा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हैं तो, ऐसे व्यक्ति किसी आधार नामांकन केन्द्र पर जा सकते हैं। आधार के लिए नामांकित किए जाने के लिए केंद्रों की सूची भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है।
 - (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय द्वारा अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से उन हितधारियों को आधार नामांकन सुविधायें प्रदान करना अपेक्षित है जिन्होंने आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका अथवा तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है तो मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से स्वयं भारत का विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) रजिस्ट्रार बनकर अथवा यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय में सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा।

उपाबंध है कि व्यक्ति को जब तक आधार सौंपा नहीं जाता है तब तक स्कीम के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रस्तुति के अधीन लाभ दिया जाएगा अर्थात्-

- (क) (i) यदि किसी पुरूष या महिला ने आधार के लिए नामांकन किया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; अथवा
 - (ii) आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति जैसा कि पैरा (2) के उप-पैरा (2) में विनिर्दिष्ट किया गया है; और
- (ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज, अर्थात्
 - (i) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदान पहचान पत्र; या
 - (ii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति या;
 - (iii) एक शासकीय पत्र शीर्ष पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा जारी ऐसे व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र; या
 - (iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्या (पीएएन) कार्ड; या
 - (v) पासपोर्ट; या
 - (vi) राशन कार्ड; या
 - (vii) फोटो युक्त बैंक पास बुक या डाकघर की पासबुक; या
 - (viii) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परंतु यह और कि उस प्रयोजन के लिए मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से विशिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा उपर्यक्त दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।

- 2. स्कीम के अंतर्गत हितधारियों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप से लाभ प्रदान करने के लिए मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात:-
 - (1) लाभार्थियों को मीडिया और व्यक्तिगत नोटिस के माध्यम से व्यापक प्रचार दिया जाएगा ताकि वे इस स्कीम के जरुरतों के प्रति जागरुक हो सकें और यदि उनका नामांकन नहीं हुआ है तो उन्हें अपने क्षेत्रों में उपलब्ध नज़दीकी आधार नामांकन केंद्र में अपना नामांकन कराने का परामर्श दिया जाएगा और स्थानीय उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची इन्हें उपलब्ध कराई जाएगी।
 - (2) यदि लाभार्थी ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील जैसे निकटवर्ती नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता की वजह से नामांकन कराने में असमर्थ हों तो यह मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थलों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा और लाभार्थी अपना नाम, पता, मोबाईल नंबर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के प्रथम परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य विवरण प्रदान करके नामांकन के लिए अपने अनुरोध का पंजीकरण कार्यान्वयन एजेंसी के पदनामित अधिकारी के समक्ष अथवा इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध वेबपोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
 - (3) यदि इस स्कीम के अंतर्गत हितधारियों ने आधार के लिए नामांकन करा लिया है, तथापि किसी कारणवश वे आधार प्रस्तुत करने में अक्षम हैं तो यह मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नामकंन के माध्यम से "सर्च माई आधार" सुविधा प्रदान करेगा और सुविधाजनक स्थलों पर आधार नामांकन सुविधाओं को आसान बनाते हुए हितधारियों को अद्यतन करेगा और हितधारियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे अपना नाम, पता, मोबाईल संख्या, फिंगर प्रिंट और ऑपरेटर के पास मौजूद अन्य विवरण देकर सहायता पद्धित से अपने आधार की तलाश करें जो उक्त अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के अधीन हितधारियों का आधार तलाशने के लिए अपेक्षित हैं और आधार संख्या को साझा करने, परिचालित करने और प्रकाशित करने पर पाबंदी लगाने के संबंध में बनाए गए हैं।
- 3. (1) उन सभी मामलों में, जहां हितधारियों के खराब बायोमिट्रिक की वजह से अथवा किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणन सफल नहीं हो पाता है तो तो निम्नवत अपवाद स्वरूप हैंडलिंग प्रणलियां अपनाई जाएंगी, नामतः-
 - (क) खराब गुणवत्ता वाली अंगुलिछाप के मामले में, प्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन सुविधा को अपनाया जाएगा जिससे मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से निर्बाध रूप से फायदों को प्रदान करने के लिए अंगुलिछाप स्कैनरों समेत आईरिस स्कैनरों के लिए उपाबंध करेगा।
 - (ख) हितधारियों के अंगुलिछाप अथवा आईरिस प्रमाणन में किठनाई होने पर यह मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों अथवा हितधारियों के लिए जिनका अन्य ज़रियों से प्रामणन सफल नहीं हो सका है, के लिए व्यवहार्यता अनुसार फेस प्रमाणन हेतु व्यवस्था करेगा।
 - (ग) यदि अंगुलिछाप अथवा आईरिस अथवा फेस प्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणन सफल नहीं होता है, जहां कहीं व्यवहार्य एवं स्वीकार्य है परिस्थिति अनुसार सीमित समय की वैधता के साथ आधार का एक-बारगी पासवर्ड (ओटीपी) या समय-आधारित एक-बारगी पासवर्ड (टीओटीपी) के माध्यम से प्रमाणन को प्राथमिकता दी जाएगी;
 - (घ) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमैट्रिक या ओटीपी या टीओटीपी प्रमाणन संभव नहीं होता है तो वास्तविक आधार पत्र के आधार पर फायदा प्रदान किए जा सकते हैं जिसके वास्तविक आधार पत्र पर मुद्रित त्वरत प्रत्युत्तर (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है।
- (2) खंड (घ) के प्रयोजन के लिए, यह मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सेवा प्रदाय क्षेत्रों में क्यूआर कोड रीडर उपलब्ध कराएगा ताकि आधार पत्र अथवा ई-आधार पर मुद्रित क्यूआर कोड रीड किया जा सके जिससे ऑफलाईन रूप से आधार संख्या की प्रामाणिकता का सत्यापन संभव होता है।
- (3) उक्त क्यूआर कोड को प्राथमिकता से भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा विकसित सिक्योर क्यूआरकोड रीडर के माध्यम से रीड किया जाएगा क्योंकि यह रीडर आधार धारक के डिजीटल हस्ताक्षर विवरण

उपलब्ध कराता है और इस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैंडलिंग रजिस्टर के अपवाद के साथ इस प्रकार के सभी मामलों में लाभ अथवा सेवा कार्य-विवरण विधिवत दर्ज हो जाने के बाद ही दी जाती हैं, जिनकी आवधिक समीक्षा और लेखा-परीक्षा इस मंत्रालय द्वारा अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से की जाती है, और इन रजिस्टरों का अनुरक्षण और आवधिक निरीक्षण कार्य अपवाद स्वरूप हैंडलिंग प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक होगा।

4. यह अधिसूचना असम और मेघालय राज्यों से इतर, सभी राज्यों और केंद्र शासित सेक्टर के प्रशासनों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगी।

> [फा. सं. ए-54/1270/2018-डीएटीसी (यूआईडीएआई)-पीएमईजीपी] सुधीर गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2020

S.O. 974(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering a Central Sector Scheme of "Prime Minister Employment Generation Program (PMEGP) (hereinafter referred to as the Scheme) by providing capital subsidy (hereinafter referred to as the benefit) to individuals (hereinafter referred to as the beneficiary) for starting a new enterprise or upgrading the existing enterprise setup under PMEGP and MUDRA by taking a loan from the bank;

And whereas, the Scheme is implemented through the Khadi and Village Industries Commission (KVIC), as the single nodal agency at the national level. At the State level, the Scheme is implemented through State KVIC Directorates, State Khadi and Village Industries Boards (KVIBs) and District Industries Centers (DICs) and Banks (hereinafter together referred to as the Implementing Agencies). As per the extant Scheme guidelines, the Government subsidy under the Scheme is routed by KVIC through the identified Banks for eventual distribution to the beneficiaries/entrepreneurs in their Bank accounts.

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: -

- 1. (1) A beneficiary desirous of receiving the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.
 - (2) A beneficiary desirous of receiving the benefits under the Scheme who does not possess the Aadhaar number or, who has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make an application for Aadhaar enrolment, and in case, he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act, such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre.

The list of centres is available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website (www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by itself becoming the Unique Identification Authority of India (UIDAI) Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) (i) If he or she has enrolled for Aadhaar, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or
 - (ii) A copy of the request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and
- (b) any one of the following documents, namely:-
 - (i) Voter Identity Card issued by the Election Commission of India; or
 - (ii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
 - (iii) Certificate of identity having photo of such individual issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
 - (iv) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income-tax department; or
 - (v) Passport; or
 - (vi) Ration Card; or
 - (vii) Bank Passbook or Post Office Passbook with photo; or
 - (viii) any other document specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry through its Implementing Agencies for that purpose.

- 2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:-
 - (1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive the benefits under the Scheme and, in case they are not enrolled, they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centre available in their areas and the list of locally available enrolment centers shall be made available to them.
 - (2) in case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of the enrolment centers in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries may register their requests for enrolment by giving their names, addresses, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.
 - (3) in case, the beneficiaries under the Scheme have enrolled for Aadhaar, however, are not able to produce Aadhaar number for any reason whatsoever, the Ministry through its Implementing Agencies shall provide "Search My Aadhaar" facility through the Unique Identification Authority of India's Enrolment and Update Client by facilitating Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries may be requested to search their Aadhaar in assisted mode by giving their names, addresses, mobile numbers, finger prints and other details, with the operator required to search beneficiaries Aadhaar, subject to the provisions of the said Act and regulations made there under with respect to restriction on sharing, circulating or publishing, of Aadhaar number.
- 3. (1) In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely:-
 - (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan facility shall be adopted for authentication, thereby the Ministry through its Implementing Agencies shall make provisions for iris scanners along with finger print scanners for delivery of benefits in seamless manner;
 - (b) in case of difficulty in fingerprints or iris authentication of the beneficiaries, face authentication shall be used and the Ministry through its Implementing Agencies shall make arrangements for face authentication wherever feasible, for those senior citizens or those beneficiaries whose other modes of authentication fail.

- (c) in case of biometric authentication through finger prints or iris or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password (OTP) or Time-based One Time Password (TOTP) with limited time validity, as the case may be, shall he preferred;
- (d) in all other cases where biometric or OTP or TOTP authentication is not possible, services or benefits may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter.
- (2) For the purpose of clause (d), the Ministry through its Implementing Agencies shall provide QR code readers at point of service delivery to read QR code printed on Aadhaar letter or E-Aadhaar which allows verifying the authenticity of Aadhaar number in an offline manner.
- (3) The QR code shall preferably be read through Secure QR code reader developed by the Unique Identification Authority of India (UIDAI) as it provides digitally signed details of Aadhaar holder and in all such cases the benefits or services may be provided after duly recording the transaction in the exception handling register made for this purpose, which is to be reviewed and audited periodically by the Ministry through its Implementing Agencies, and maintenance of these registers and periodic inspection shall be an essential component of exception handling mechanism.
- 4. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories, except the States of Assam and Meghalaya.

[F. No. A/54/1270/2018-DATC(UIDAI)/PMEGP] SUDHIR GARG, Jt. Secy.